प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेण्ट फिदेलिस,
खेड़ा खुशखबर फिदेली और लोधा अलीगढ़।

पत्रांक/कन्फ्का/ 33294 /2016-17 दिनांक– 22 - 3 -2017

विषय– निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 के प्रयोजन से लिये निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 16 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रदान पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 31.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के समय-समय पर निरीक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार, मैं– सेण्ट फिदेलिस खेड़ा खुशखबर फिदेली और लोधा अलीगढ़ को तारीख 01.04.2016 से तारीख 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक [अधिकी मान्यता के लिये अपील पश्चात प्रदान करने की संस्तुति देते हुये। उपरोक्त संस्था निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है।

1–मान्यता की संपूर्ण नियमावलियों नहीं है और उसमें किसी के रूप में लाभ है से मान्यता मान्यता/संशोधन करने के लिये कोई बाध्यता निहित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपबंध–2)के उपबंधों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,जहाँ कक्ष में) उस कक्ष में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक अक्ष–वर्गीय या अलाभ वर्ग और दुर्बल–विशेष समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।

5–संस्थापन/विद्यालय किसी डोनेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी व्यक्ति/संस्था के आवेदन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का संकुल न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 16 से उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i)–प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में रोका नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii)– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न से अध्यापित नहीं किया जाएगा।

(3)–प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)–प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 24 के अधीन अधिसूचित किये गये अनुसार एक हस्तान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)–अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुल्क शुल्क/लिये अवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)–अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन तथा अधिसूचित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जायी है। परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।

(7)–अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(8)–अध्यापक सप्ताह में किसी निर्धारित दिवसकालावधि में निर्धारित नहीं करेगा।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित मानदण्डों के अनुसार पर मानदण्ड का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानिकों को अपने स्वीकार। अंतिम निरीक्षण के समय निर्देश की गई अनुसूचित निम्नानुसार है–

PRINCIPAL
ST. FIDELIS SCHOOL
KHEDA KHUSH KHAP
ALIGARH

MANAGER
ST. FIDELIS SCHOOL
KHEDA KHUSH KHAP
ALIGARH

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
भूमि निर्मित क्षेत्र
कक्षा–कक्ष का क्षेत्रफल
छात्रों की संख्या
प्रबन्धक–एवं कार्यालय–सहायकालय के लिये कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
भिन्न–3–नीला पक्षाने के लिये सर्वेई
बच्चादेश खुंभ
अध्यापन पहन सामग्री/कीमा संग्रहण उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके चहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चलाई जायेगी।

10–विद्यालय सभी या क्रय सम्बन्धों या कीमा–व्यय का प्रयोग केवल शिक्षा और शैक्षण विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाय है

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या समान्य मूलन किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संकुल या संगम या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसकी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उसकी लेखा विवरण रिपोर्ट के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक संस्था विद्यालय की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14–अगली विद्यालय की अस्थित मान्यता वांछ सम्बन्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस सम्बन्ध के साथ किसी पत्राचार के लिये इस सम्बन्ध का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/शिक्षा शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के साथ अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकलाप को तर्कियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17–कार्यालय उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(डॉ0 सुरेश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़।

PRINCIPAL
ST. FIDELIS SCHOOL
KHEDA KHUSH KHAP
ALIGARH

MANAGER
ST. FIDELIS SCHOOL
KHEDA KHUSH KHAP
ALIGARH

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-19(4) के द्वारा किये गये संशोधन अनुसार प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रबन्धतंत्र निर्धारित प्रारूप पर निम्नावली में उल्लिखित प्रतिबन्धों के पूर्णतया औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों पर कार्यवाही से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त संयुक्त/सहायक शिक्षा निदेशक(प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मनीषा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

PRINCIPAL
ST. FIDELIS SCHOOL
KHEDA KHUSH KHAP
ALIGARH

MANAGER
ST. FIDELIS SCHOOL
KHEDA KHUSH KHAP
ALIGARH